-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार

बरामदगी-

- 02 तंमचे 315 तमंचा बोर
- 04 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 03 मोबाईल फोन
- 01 मोटरसाईकिल

अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.24 को वादिया श्रीमती शेलो पत्नी स्व कलम सिह निवासी ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आर्यन पुत्र निगम निवासी ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनिहारान द्वारा वादिया के पति कलम सिह की गोली मारकर हत्या करने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 99/24 धारा 302/307 भादंवि व 3(2)5 एससी/एसटी अधि0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये **अभियुक्तगण 1. अंशुल पुत्र रमेश निवासी फतेहचन्दपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर 2. अरुण पुत्र रामकुमार निवासी फतेहचन्दपुर थान तीतरो जिला सहारनपुर** तुरमतखेड़ी के मोड़ रजवाहे की पुलिया के पास से तथा दिनांक 09.04.2024 को **अभियुक्त आर्यन पुत्र निगम निवासी ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को भांकला रेलवे अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 देशी तमंचे /04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 मोबाईल फोन तथा 01 मोटरसाईकिल बरामद की गयी। बरामदी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 120बी भादवि व 3/25/27 शस्त्र अधि0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आर्यन उपरोक्त ने बताया कि मेरी माँ की हत्या मेरे पिता निगम पुत्र प्रमोद निवासी उपरोक्त ने वर्ष 2006 मे की थी। मेरे पिता उक्त मुकदमे मे वर्ष 2022 माह अक्टूबर मे सजा काटकर जेल से बाहर आये थे और आधी जमीन लगभग 50 बीघा पर कब्जा कर लिया था। जिसमे से मेरे पिता ने 04 बीघा जमीन बेच दी और 03 बीघा जमीन का ब्याना ले लिया था। जमीनी विवाद के कारण अकसर मुझमें व मेरे पिता में झगड़ा होता रहता था। मैने अपनी मां की हत्या का बदला लेने व पूरी जमीन पर कब्जा करने के लिये अपने पिता निगम की हत्या करने का प्लान बनाया। मुझे मेरे एक साथी ने मेरे पिता की हत्या करने के लिये दो व्यक्तियों अंशुल व अरूण से मुलाकात करायी तथा हमारा सौदै 5 लाख रूपये में तय हुआ।

जिसके लिये मैने 50 हजार रुपये अंशुल व अरुण को एडवान्स दिये गये जिसमें से 40 हजार नगद व 10 हजार फोन-पे द्वारा दिये। दिनांक 31.03.24 को अंशुल व अरुण मोटरसाईकिल से पिलखनी आये और मेरे पिता निगम की ट्यूबैल के पास बने कमरे मे पिछली तरफ से खिड़की से दोनो ने गोली चलाई जिसमे मेरे पिता को कन्धे मे गोली लगी व वहीं पास में खडे कलम सिह के सीने से गोली लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पताः-

1. अंशुल पुत्र रमेश निवासी फतेहचन्दपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर।
2. अरुण पुत्र रामकुमार निवासी फतेहचन्दपुर थान तीतरो जिला सहारनपुर।
3. आर्यन पुत्र निगम निवासी ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 02 तंमचा 315 तमंचा बोर
- 04 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 03 मोबाईल फोन
- 01 मोटरसाईकिल

गिरफ्तार अभियुक्त अंशुल का आपरधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 459/16 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु0अ0स0 115/19 धारा 427/504/506 भादवि थाना तीतरो सहारनपुर
3. मु0अ0स0 45/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना तीतरो सहारनपुर
4. मु0अ0स0 350/20 धारा 147/148/149/307/504/506/332 भादवि व 7 सी0एल एक्ट थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
5. मु0अ0स0 352/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अरुण का आपरधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 115/19 धारा 427/504/506 भादवि थाना तीतरो सहारनपुर
2. मु0अ0स0 132/11 धारा 302/307 भादवि व 3(1)(10) एसटी एससी अधि0 थाना तीतरो सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री एस0एन वैभव पाण्डे
2. निरीक्षक श्री संजीव कुमार एस0ओ0जी0 प्रभारी मय एस0ओ0जी0 टीम सहारनपुर
3. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा मय टीम थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

3\. हे0 का0 सोनू शर्मा सर्विलांस टीम सहारनपुर

दिनांक: 09.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 02/24 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 420,467,468,471,120बी भादवि के वांछित अभियुक्त **गुलशेर पुत्र महबूब निवासी दादा खान की मजार के पास सुल्तानपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को घण्टाघर से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा थाना सदर बाजार पर पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 02/24 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 420,467,468,471,120 बी भादवि की घटना में भी संलिप्तता भी स्वीकार की गयी है |अभियुक्त को मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण..

गिरफ्तार अभियुक्त गुलशेर ने पूछताछ करने पर जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि मैं जेल (मु0अ0सं0 483/23 धारा 60/63/72आबकारी अधि0 420/120बी भा0द0वि0) से छूटने के बाद मैं कर्मवीर व मुर्सलीन से मिला तो कर्मवीर नें मुझसे व मुर्सलीन से कहा कि मुझे काफी नुकसान हो गया है । अब उस नुकसान की भरपाई कराओ फिर कर्मवीर नें एक और ट्रक नं0- UK 17CA 3796 खरीदा जो अजमेर के नाम कराया था अजमेर कर्मवीर के गाव का ही है । अजमेर का पता मेरे गांव का ही केयर ऑफ में लिखवा दिया था । हमने दिनांक 25.11.2023 को तथा 13.12.23 को शराब से गाडी भरवाकर भिजवायी थी जो बिहार में जाकर बेच दी थी । दिनांक 1.1.2024 को मैं व अजमेर सिंह उर्फ बच्ची पुत्र चन्द्रभान नि0 पावडा बसी बरवाला हिंसार हरियाणा व मुर्सलीन ट्रक नं0- UK 17CA 3796 से बिहार से शराब बेचकर वापस आ रह थे तथा कर्मवीर उर्फ ढिल्लो व सोमवीर हमारे ट्रक के साथ अपनी फोर्चूनर कार HR 70F 3676 में थे हमारे पास शराब के सैम्पल की दो दो पेटी ट्रक व कर्मवीर की कार मे रखी थी हम काफी थक गये थे और अपना अपना ट्रक व कार सहारनपुर में आकर दिल्ली रोड पर साइड मे खड़ा कर थोड़ा आराम कर रह थे तभी सहारनपुर पुलिस आ गयी मैं और मुर्सलीन ट्रक से कूदकर भाग गये हमारा साथी अजमेर हमारे ट्रक से व फोर्चूनर कार से कर्मवीर व सोमवीर पकड़े गये थे। हमने पुलिस से बचने के लिये ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट धोखा देने के लिये लगायी थी ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

गुलशेर पुत्र महबूब निवासी दादा खान की मजार के पास सुल्तानपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड.

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम -

1.व0उ0नि0 विपिन त्यागी थाना सदर बाजार स0पुर

2. है0का0 850 सचिन थाना सदर बाजार स0पुर

दिनांकः 09.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी/ जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.04.2024 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अभियुक्त **अमजद पुत्र इमरान नि0 ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम कैलाशपुर मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुये। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 059/2024 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम व 3/25 आमर्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मुझे जिला बदर कराया गया था। मैं अपने घर पर आया था। तमन्चा व कारतूस मैने हरियाणा से एक व्यक्ति से लोगों को डराने धमकाने के लिये खरीदे थे। जिसका मैं नाम पता नहीं जानता।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमजद पुत्र इमरान नि0 ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 59/24 धारा- 10 यूपी गुण्डा अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 118/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 150/21 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. निवारक कार्यवाही सं0- 94/22 धारा- 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. है0का0 810 सोनू ढाका गागलहेडी जिला सहारनपुर।
4. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

दिनांकः **09.04.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव सहारनपुर, पुलिस द्वारा 04 वारंटी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण,वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.04.24 को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तगण **1- शीशपाल पुत्र कश्मीरा 2- मुकेश पुत्र कश्मीरा 3- सुनील पुत्र सुरजमल 4- बीरबल पुत्र धर्मपाल निवासीगण ग्राम उमरी मजबता थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 11/2019 धारा 147/148/323/354/504/506 भादवि व 3(1)द,3(1)ध अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम,** को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.शीशपाल पुत्र कश्मीरा निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2.मुकेश पुत्र कश्मीरा निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3.सुनील पुत्र सुरजमल निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4.बीरबल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. हे0कां0 612 दीपक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. कां0 2172 वरूण कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. हो0गा0 2020 अजीत थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 09.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्रों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **अनीश पुत्र कबीर निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को ग्राम खुजनावर के मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर** बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 73/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अनीश पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूँछताछ करने पर बताया कि मैं यह तमंचा व कारतूस अपने पास अपने शौक के लिये रखता हूँ। जो यह आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरो से खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनीश पुत्र कबीर निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 71/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 72/17 धारा 25 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 73/17 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 199/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 339/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 377/16 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 627/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 108/2013 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 420 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 73/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

दिंनाक- 09.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा / 01 जिंदा कारतूस 315 बोर , 01 बिना कागजात की मोटरसाइकिल व 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियत्रण,अवैध शस्त्रो के कारोबार की रोकथाम व इसमें सलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 08.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्त **1. शिवाजी उर्फ शिवा पुत्र राजकुमार निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर, 2. रोमित पुत्र बालमुकन्द निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को** ग्राम छज्जपुरा मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त शिवाजी उर्फ शिवा उपरोक्त के कब्जे से 01तमंचा /01 जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज व अभियुक्त रोमित उपरोक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज व 01 बिना कागजात की मोटरसाइकिल बरामद की गई बरामद मोटर साईकिल के कागजात न होने पर मोटरसाईकिल आर15 रजिस्ट्रेशन नं0 UP-14 BM 6251 को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 में सीज किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 72/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पताः-

1. शिवाजी उर्फ शिवा पुत्र राजकुमार निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. रोमित पुत्र बालमुकन्द निवासी सरगथल हमीद थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 चाकू व 01 बिना कागजात की आर-15 मोटरसाईकिल

अभियुक्त शिवाजी उर्फ शिवा का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 166/2023 धारा 395/412 भादवि थाना नागल, सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विक्रान्त सिहं भडाना, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0कां0 50 विशाल कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. कां0 1675 गगन, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म का 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपर्हता को सकुशल किया गया बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 01.04.2024 को वादिया ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त कल्लू उर्फ प्रिन्स पुत्र प्रवीण निवासी चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जान के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 75/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अपर्हता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.04.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित **अभियुक्त कल्लू उर्फ प्रिन्स पुत्र प्रवीण निवासी चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को संजय चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपर्हता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में (2) 376 व 5/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कल्लू उर्फ प्रिन्स पुत्र प्रवीण निवासी चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 शीशपाल सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2.है0का0 829 सुमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 09.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 बोतल रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण,अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें सलिंप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त **निजाकत पुत्र कालू नि0 ग्राम ढिक्का कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम डी0सी0 जैन इण्टर कालिँज के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **13 बोतल देशी शराब** रसीला माल्टा हरियाणा मार्का वरामद हुई बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूध्द थाना सरसावा पर मु0अ0स0 94/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियक्त उपरोक्त ने बताया कि मै कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदी हूँ। मै हरियाणा राज्य से देशी शराब सस्ते दाम मे खरीदकर आसपास के क्षेत्रो में अधिक कीमत पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मै शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता –

निजाकत पुत्र कालू नि0 ग्राम ढिक्का कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 80/12 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

13 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2. का0 2557 कृष्ण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

3.का0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 09.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा 02 वारन्टी **1.कादिर पुत्र सिन्ना निवासी ग्राम मगनपुरा थाना मिर्जापुर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 3354/19 धारा 4/25 आमर्स एक्ट व **2.श्याम लाल उर्फ फारुख पुत्र चौहल सिह निवासी ग्राम फतेहपुर टाण्डा थाना मिर्जापुर सहारनपुर** वाद स0-70/19 धारा 60/63 आ0 आधि0 को दबिश देकर उनके मसकन से दि0 09.04.2024 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. कादिर पुत्र सिन्ना निवासी ग्राम मगनपुरा थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. श्याम लाल उर्फ फारुख पुत्र चौहल सिह निवासी ग्राम फतेहपुर टाण्डा थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. उ0नि0 यशपाल सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. हेका0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु नशीले व मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त **अमजद पुत्र रिजवान निवासी ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को पठानपुरा नदी के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-126/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं स्मैक सस्ते दाम मे बाहर से खरीदकर लाता हूँ , आसपास के गाँव में जाकर राह चलते हुये व्यक्तियों को ज्यादा पैसो में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमजद पुत्र रिजवान निवासी ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जिला स0पुर

बरामदगी का विवरण –

12 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 538 प्रदीप हुड्डा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1325 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक- 09.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 वांरटी **सूरज वर्मा पुत्र तिलकराज निवासी नुमाइश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 818/24, मु0अ0सं0— 335ए/14 धारा— 147/148/323/504/506 भादवि चालानी थाना को0नगर सहारनपुर को आज दिनांक 09.04.24 को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सूरज वर्मा पुत्र तिलकराज निवासी नुमाइश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 362/2016 धारा 323,354,504,506 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रविन्द्र धामा सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 122 संजय कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. का0 296 तरूण शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 09-04-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु नशीले व मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **वाजिद उर्फ बिगाड़ा पुत्र आविद नि0 मो गुज्जरवाड़ा कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर** को मौ0 सराय के कब्रिस्तान पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त वाजिद उर्फ बिगाड़ा उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 130/24 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. अधि0 के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वाजिद उर्फ बिगाड़ा पुत्र आविद नि0 मो गुज्जरवाड़ा कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 53/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 387/17 धारा 379 भादवि थान गंगोह जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 130/24 धारा 8/21 एनडीपीएस अधि0 जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 12 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0कां0 579 शेखर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. कां0 688 प्रवीण कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 09-04-2024

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-01 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का संश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 02.11.2021 को वादी मुकेश पुत्र मुकन्दा निवासी अम्बेहटा मोहन थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की पुत्री शिवानी से अभियुक्त अमन कुमार पुत्र स्वः रामा निवासी दमकडी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा दहेज की मांग करना व मांग पुरी न होने पर फांसी पर लटका कर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0 561/2021 धारा 498ए,304बी,316 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना कोतवाली को0देहात पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 499/2022 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-01 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 04.04.2024 को अभियुक्त **अमन कुमार पुत्र स्वः रामा** को मु0अ0सं0 561/2021 धारा 498ए,304बी, भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का संश्रम कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सोहनवीर सिंह
विवेचक क्षेत्राधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी
पैरोकार हे0का0 963 सचिन कुमार थाना को0देहात सहारनपुर।